



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 67037

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10862 सन् 2026

बादशाह

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- इदरक अहमद, निम्शा खुर्शीद

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:-शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -69

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

- 1 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या 10862 सन् 2026, आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 617/2021, धारा 2 एवं 3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना खैर, जनपद अलीगढ़ में जमानत पर रिहाई हेतु संस्थित किया गया है।
3. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक को पूर्व में दिनांक 07.02.2022 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था। सन्दर्भ के लिए वही यहाँ पुनः उद्धृत किया जाता है:-

"आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 0617 सन् 2021, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना खैर, जनपद अलीगढ़ में जमानत पर रिहाई हेतु संस्थित किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को तीन आपराधिक मामलों अर्थात् मुकदमा अपराध संख्या 392 सन् 2021, मुकदमा अपराध संख्या 480 सन् 2021 एवं मुकदमा अपराध संख्या 481 सन् 2021 में उसकी संलिप्तता दर्शाते हुए गुंडा अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या रूप से फँसाया गया है। गैंग चार्ट की प्रति शपथपत्र से अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामलों में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है, जमानत आदेशों की प्रतियाँ जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र से क्रमशः अनुलग्नक संख्या 2, 3 एवं 4 के रूप में संलग्न हैं। जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के पैराग्राफ 11 में यह कथन है कि आवेदक के मुकदमा अपराध संख्या 480 सन् 2021 में गिरफ्तारी के पश्चात् उसके विरुद्ध तीन और मामले पंजीकृत हैं। तीनों मामलों अर्थात् (i) मुकदमा अपराध संख्या 872 सन् 2021, धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, (ii) मुकदमा अपराध संख्या 0215 सन् 2021, धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम तथा (iii) मुकदमा अपराध संख्या 484 सन् 2021, धारा 4/25 आयुध अधिनियम में आवेदक पहले से जमानत पर रिहा है। शपथपत्र के पैराग्राफ 13 में कथन है कि आवेदक का कोई अन्य पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और उसके फरार होने अथवा किसी भी प्रकार से विचारण को बाधित करने की कोई आशंका नहीं है। आवेदक 06.10.2021 से जेल में निरुद्ध है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि पूर्व-विचारण चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी अनुग्रह का पात्र नहीं है तथा अन्य मामले में उसकी संलिप्तता की संभावना है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय प्रस्तुत आवेदक को जमानत देने के लिए इच्छुक है।



तदनुसार जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। आवेदक बादशाह को उक्त मामले में निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, व्यक्तिगत मुचलका तथा उसी राशि के दो जमानतदारों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-।

1. आवेदक अभियोजन के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और किसी भी प्रकार से पीड़ित/परिवादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएगा अथवा उसे परेशान नहीं करेगा।

2. आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा और किसी भी प्रकार से विचारण के निस्तारण में विलंब नहीं करेगा।

3. आवेदक किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

4. आवेदक किसी भी प्रकार से जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं आवासीय प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व सत्यापित किए जाएँगे और उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय आवेदक की जमानत निरस्त करने और उसे कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।"

4. तत्पश्चात्, प्रस्तुत जमानत आवेदन के पैराग्राफ संख्या 11 में उल्लिखित अनुसार, प्रस्तुत आवेदक पीलिया की गंभीर बीमारी तथा अपनी पुत्री की दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक मृत्यु के कारण नियत तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। प्रस्तुत आवेदक की अवर न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति के कारण, संबंधित विद्वान न्यायालय ने दिनांक 04.07.2023 के आदेश द्वारा अजमानतीय वारंट जारी किया। उक्त अजमानतीय वारंट के अनुपालन में, आवेदक 29.10.2025 से कारावास में है।

5. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत आवेदक की ओर से न्यायालयीय कार्यवाही से बचने का कोई जानबूझकर किया गया कृत्य अथवा दुर्भावनापूर्ण आशय नहीं था; किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। अतः उसकी चिकित्सीय बीमारी तथा उसकी पुत्री की आकस्मिक मृत्यु के प्रकाश में उसके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. राज्य प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत आवेदक द्वारा संस्थित जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार करते हुए एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत का अधिकारी है।

8. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत मुचलके तथा उतनी ही राशि की दो स्थानीय जमानतदारों पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक रिहाई के पश्चात् संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित विचारण की कार्यवाही में नियत तिथि पर उपस्थित होकर सहयोग करेगा।

ii. वह साक्षियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

iii. वह जमानत अवधि के दौरान किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त नहीं होगा। 8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के अंतिम गुण-दोष पर किसी प्रकार की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

वी.के.जे.